

राजस्थान सरकार  
गृह(ग्रुप-10)विभाग

क्रमांक: प018(3)गृह-10/16

दिनांक 27.04.2018

आदेश

निम्नलिखित सहायक निदेशक अभियोजन के स्थानान्तरण/ पदस्थापन प्रशासनिक दृष्टिकोण से लोक हित में किये जाते हैं:-

| क्र०सं० | नाम सनिअ               | कहाँ से   | कहाँ को   | वि०वि०                        |
|---------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| 1.      | श्री संजय सिंह चौहान   | सनिअ, एसीबी न्यायालय अजमेर                      | सनिअ, भीलवाडा                                   | श्री चुडावत के स्थान पर       |
| 2.      | श्री पृथ्वीसिंह चुडावत | सनिअ, भीलवाडा                                   | सनिअ, एसीबी न्यायालय अजमेर                      | श्री सिंह के स्थान पर         |
| 3.      | श्री प्रदीप अग्रवाल    | सनिअ, एसीबी न्यायालय 4 जयपुर                    | सनिअ, सतर्कता अभियोजन निदेशालय जयपुर            | श्री पारिस के स्थान पर        |
| 4.      | श्री मुरारीलाल पारिस   | सनिअ, सतर्कता अभियोजन निदेशालय जयपुर            | सनिअ, एसीबी न्यायालय नं० 2 जयपुर                | श्री विजय के स्थान पर         |
| 5.      | श्री मुरारीलाल शर्मा   | सनिअ, एसीबी न्यायालय अलवर                       | अपर लोक अभियोजक, एडीजे न्यायालय डीग जिला भरतपुर | श्री प्रदीप कुमार के स्थान पर |
| 6.      | श्री प्रदीप कुमार      | अपर लोक अभियोजक, एडीजे न्यायालय डीग जिला भरतपुर | सनिअ, एसीबी न्यायालय अलवर                       | श्री शर्मा के स्थान पर        |
| 7.      | श्री संतोष कुमार विजय  | सनिअ, एसीबी न्यायालय सं० 2 जयपुर                | सनिअ, एसीबी न्यायालय संख्या 4 जयपुर             | श्री अग्रवाल के स्थान पर      |

उपरोक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन में कम संख्या 5 व 6 स्वेच्छक होने से इन्हें नियमानुसार यात्रा भता एवं अन्य लाभ देय नहीं होंगे।

21/5/18  
(देवेन्द्र दीक्षित)

विशिष्ट शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय गृहमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह।
3. महानिदेशक, पुलिस/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो।
4. शासन सचिव, विधि, विधि एवं विधिक कार्य विभाग।
5. सम्बन्धित जिला कलक्टर।
6. निदेशक अभियोजन को 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
7. सम्बन्धित उप/सहायक निदेशक अभियोजन।
8. सम्बन्धित अधिकारी।
9. निजी पत्रावली।
10. समस्त अनुभाग, अभियोजन निदेशालय।
11. रक्षित पत्रावली।

21/5/18  
(देवेन्द्र दीक्षित)

विशिष्ट शासन सचिव, गृह